मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल–462004

क्रमांक / 673 /3212/2020/20–1, भोपाल, दिनांक 22/06/2020

प्रति,

(1) संभागायुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश।
(2) कलेक्टर (समस्त) मध्यप्रदेश।

विषय–उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षक के अभ्यार्थियों की नियुक्ति पूर्व दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में।

:: 00 ::

आपको विदित है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के 15000 तथा माध्यमिक शिक्षक के 5670 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है तथा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में दिनांक 29 जून 2020 से अभ्यार्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही संभागीय संयुक्त संचालक, तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्रारंभ की जा रही है। मूल दस्तावेजों का अवलोकन कर सत्यापन की समस्त जबावदेही संभागीय संयुक्त संचालक तथा जिला शिक्षा अधिकारी की है। नियमित कार्यालयीन कार्य पर इसका न्यूनतम प्रभाव हो, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए जुलाई माह से प्रत्येक सप्ताह के बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार दिवसों को सत्यापन हेतु नियत किया गया है। सत्यापन हेतु अभ्यर्थी निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय पर अपने मूल दस्तावेज के साथ संभागीय संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन सुनिश्चित करायेंगे।

उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षकों के पदों की पूर्ति होने से निश्चित तौर पर प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार परिलक्षित होगा। इस तथ्य से आप भी सहमत होंगे कि पदों की पूर्ति बेहद संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण कार्य है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही से विसंगतिपूर्ण स्थिति निर्मित हो सकती है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि सत्यापन हेतु निर्धारित दिवसों पर संभागीय संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी को बैठकों अथवा अन्य ऐसे किसी दायित्व से मुक्त रखेंगे जिसकी वजह से दस्तावेजों के सत्यापन कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। जब तक सत्यापन की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो जाती है तब तक स्थानीय स्तर से संभागीय संयुक्त संचालक तथा जिला शिक्षा अधिकारियों को किसी भी प्रकार के अवकाश स्वीकृत न किया जाये और न ही उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाये। सत्यापन हेतु नियत तिथि पर संभागीय संयुक्त संचालक तथा जिला शिक्षा अधिकारी का उनके कार्यालय पर निरंतर बने रहना अत्यावश्यक होगा।

(रश्मि अरूण शमी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

निरंतर.........2

1

क्रमांक /674/ 3212 / 2020 / 20—1,
प्रतिलिपि :— भोपाल, दिनांक 22/06/2020

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण (समस्त) म.प्र.।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (समस्त) म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग